न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2021	06.01.2021	10.02.2021

अनवान

1. मदन पिता मथरालाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. ओम पिता मथरालाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. मोहन लाल पिता नाथुलाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. गोपीबाई पत्नि स्व बंशीलाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. प्रकाश चन्द्र दत्तक पुत्र स्व0 बंशीलाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. रामेश्वरलाल पिता नाथूलाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
4. नानी बाई पत्नि रामदयाल जाति सैन आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौडगढ।
6. पटवार हल्का मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री रोशनलाल शर्मा	प्रार्थी 1–2
	अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र सुखवाल	प्रार्थी संख्या 3
	अधिवक्ता श्री हरिश जोशी अप्रार्थीगण	संख्या 1,2

–:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:31:41 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि इनके अनवान का एक वाद पत्र प्रार्थीगण ने न्यायालय आप में पेश कर दिया है जिसकी

कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में लम्बा समय लगेगा। यह कि ग्राम मरमी पटवार हल्का मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ के बेरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2077 पेश है, आराजीयात जिसमें आराजी संख्या 355 रकबा 0.2509 में प्रार्थी ओम प्रकाश का 1/4 हक हिस्सा, मदन का 1/4 हक हिस्सा एवं मोहनलाल का 1/6 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी गोपीबाई का 1/12 हक हिस्सा, प्रकाशचन्द्र 1/12 एवं रामेश्वरलाल का 1/6 हक हिस्सा निहित हो दर्ज रेकार्ड है, व अराजी संख्या 221 रकबा 0.3076 है0 आराजी संख्या 222 रकबा 0.4694 है0 में प्रार्थी ओम का 1/8 हक हिस्सा,मदन का 1/8 हक हिस्सा एवं मोहनलाल का 1/2 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी गोपीबाई का 1/8 हक हिस्सा, प्रकाशचन्द्र का 1/8 हक हिस्सा निहित हो दर्ज रेर्काड है,एवं आराजी संख्या 1212 रकबा 0.2671 है0 आराजी संख्या 895 रकबा 0.5099 है0 में प्रार्थी ओम प्रकाश का 3/16 हक हिस्सा,मदन का 3/16 हक हिस्सा एवं मोहनलाल का 3/16 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी गोपीबाई का 3/32 हक हिस्सा, प्रकाशचन्द्र का 3/32 एंव नानी बाई का 1/4 हक हिस्सा निहित हो दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त सारे आराजी संख्या प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अंकित कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, उपरोक्त वर्णित दर्ज रेकार्ड अराजीयात में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के बीच में अपने अपने हक हिस्से का विधिवत रूप से बंटवाडा नही होने से रकबे में कमी बेशी तथा लगान अदायगी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीगण का निहित अपने हक हिस्से का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किए जाने हेतु वाद पत्र बंटवाडा आराजीयात पेश किया गया है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने मनमकसूद तरीके से अपने हक हिस्से में आये दिन भाग से अधिक आराजीयात को अपनी तथा अपने परिवार की ताकत के बल पर हम प्रार्थीगण को गरीब मानकर जोतना चाहते है व इसी प्रकारप्रत्येक वर्ष कब्जे को बदलने की कोशिश करते रहते है व इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष कब्जे को बदलने की कोशिश करते रहते है तथा अजनबी व्यक्तियों को बिना विधिक बंटवाडा भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1लगायत 4 वाद ग्रस्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से में उगे वृक्षों,थोहरों की बाड को नही काटे इसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4 विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा डिक्री आवश्यक होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर,सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होकर अकथनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

करने में है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध नही किया जा सकता है,अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 को किसी प्रकार से कोई क्षति नही होगी। यह है कि बिनाय मुखास्मद प्रार्थना कारण दिनांक 01.01.2021 को प्रार्थीगण अपने हक हिस्से को हंकवाने गए तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 लडई झगडा करने पर आमदा हो गए इससे पैदा हो निरन्तर हर दिन हर पल जारी है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारी होकर बंटवाडा आराजीयात में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाए गए है तथा प्रतिवादी संख्या 5 उपपंजीयक राशमी है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है तथा अप्रार्थी संख्या 6 पटवार हल्का है जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाए गए है। अतः श्रीमान से वादीगण की सविनय प्रार्थना है कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी सं,या 01 लगायत 04 प्रार्थीगण की आराजीयात में बैजा दखन्दाजी नही करें करावें, विधिवत बंटवाडा होने से पूर्व उक्त आराजीयात में खडे हरे वृक्षों,थोहरों की बाड को नही काटे,वादग्रस्त आराजीयात को रहन,बहन,विक्रय आदि नही करे करावे तो स्वंय करने न अपने मित्रों रिश्तेदारों ,एजेन्टों आदि से करे करावे अप्रार्थी संख्या 5 एवं 7 रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे प्रतिवादी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे करावे इस आश्यक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 28.01.2021 को प्रार्थी संख्या 03 की और से अधिवक्ता श्री कैलाश सुखवाल हाजिर आये। दिनांक 28.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 3–4 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफ अमल में लाई । दिनांक 28.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 1–2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे रेकार्ड पर लिया गया। जवाब प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1–2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वादपत्र पेश किया जाना स्वीकार है लैकिन वादपत्र आधार हीन तथ्यों पर आधारित होने से शीघ्र ही खारीज योग्य है।यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात दर्ज होना स्वीकार है।अन्य तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। कानुन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तथा एक सहखातेदार अन्य खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 मे वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 में वर्णित गलत होकर अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

व सुविधा का सन्तुलन एवं अपुरनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नही है। यह है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 8,9,10 कानुनी है। यह है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने झुठा शपथ पत्र पेश किया है। अतः खारीज फरमा हर्जा खर्चा दिलाये जाने की प्रार्थना है। दिनांक 08.01.2021 को प्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया किन्तु मै प्रार्थी अब आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहता हुँ जिसे दिनांक 10.02.2021 को रेकॉर्ड पर लिया।

दिनांक 10.02.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी सं0 1–2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ एवं अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। अप्रार्थी सं0 3 अधिवक्ता द्वारा भी अपना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की एवं अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1–2 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया की प्रार्थीगण के हक हिस्से में कोई दखल नही की है, न ही प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा है,अप्रार्थीगण को कर्ज अदायगी मे रूपयों की आवश्यकता होने से अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात को विक्रय करने की बातचित की तो प्रार्थीगण उक्त आराजीयात कम कीमत में खरिदना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को जलील व तंग परेशान करने की नियत से मोजुदा प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अप्राथीगण को अपना हिस्सा विक्रय करने का कानुनी पूर्ण अधिकार है। तथा कानुन सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे में दखल नही की है न ही उक्त आराजीयात बाड व थोहर को काटने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नही है। अतः खारीज फरमा हर्जा खर्चा दिलाये जाने की प्रार्थना है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत का भी अवलोकन कराया कि विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त के आधार पर अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। अधिवक्ता प्र[illegible]ाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने अधिवक्ता अप्रार्थी के तथ्यों का ख[illegible] किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारणप्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति तीनो बिन्दुओं पर एक साथ किया जाना उचित होगा क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो अभिलिखित खातेदार होने से अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही प्रतित नही होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.01.2021 को अपास्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.01.2021 को अपास्त किया जाता है ।पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मुल वाद संख्या 01/2021 के साथ हम किता रहे। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested